**अपील क्रमांक 207/बो.प्र./नि.स./2024/**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)**
**जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़**
**शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,**
**नवा रायपुर, अटल नगर**

**दिनांक /10/2024**

**अपील प्रकरण क्रमांक 207/बो.प्र./नि.सहा./2024**

| **अपीलार्थी** | | **उत्तरवादी** |
|---|---|---|
| श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता),<br>एवं RTI एक्टिविस्ट Ph.d,<br>नावापारा अंबिकापुर,<br>जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)<br>मो.नं. 9826152904 | **विरूद्ध** | श्री रविकांत साहू<br>जनसूचना अधिकारी,<br>कार्यालय प्रमुख अभियंता,<br>जल संसाधन विभाग,<br>नवा रायपुर (छ.ग.) |

**आदेश दिनांक 24.10.2024**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री डी. के. सोनी द्वारा दिनांक 27.09.2024 को प्रस्तुत एवं इस कार्यालय में दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 24.10.2024 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे ।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "वर्ष 2019 से आज दिनांक तक आपके कार्यालय को प्रदेश के मुख्य अभियंता कार्यालयों से प्राप्त इनकमजेन्सी की प्रमाणित प्रतिलिपि" उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 24.07.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2024 को दस्तावेज शुल्क रू. 9794/– की मांग किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.08.2024 को दस्तावेज शुल्क जमा किये जाने के बावजूद जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2024 को प्रस्तुत, इस कार्यालय में दिनांक 07.10.2024 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 22.10.2024 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया था, किन्तु दिनांक 22.10.2024 को शासकीय कार्य से अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रवास में रहने के कारण अपीलार्थी को मोबाइल पर एवं तत्पश्चात् पंजीकृत डाक से अपील सुनवायी की संशोधित तिथि दिनांक 24.10.2024 के संबंध में सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 24.10.2024 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि दस्तावेज शुल्क जमा किये जाने के बावजूद, जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन क्रमांक 4083 दिनांक 24.07.2024, इस कार्यालय में आवक क्र. 379 दिनांक 30.07.2024 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 31.07.2024 को प्रेषित की गयी। उक्त नस्ती स्थापना कक्ष से सूचना का अधिकार कक्ष को दिनांक 28.08.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 4897 पृष्ठ में समाहित है। निर्धारित दस्तावेज शुल्क जमा किये जाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/129/छ.ग./2024/7358, दिनांक 28.08.2024 द्वारा अपीलार्थी को पत्र प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.08.2024 को प्रेषित दस्तावेज शुल्क की राशि रू. 9800/–का ई–स्टाम्प, इस कार्यालय में आवक क्र. 414 दि. 04.09.2024 के माध्यम से प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/129/छ.ग./2024/8147, दिनांक 20.09.2024 द्वारा वांछित जानकारी सत्यापित कर प्रदाय किया गया।

5. वांछित जानकारी कार्यालय के स्थापना कक्ष से संबंधित होने के कारण तत्संबंध में अधिनियम 2005 की धारा 5(4) एवं 5(5) के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा नस्ती स्थापना कक्ष को प्रेषित की गयी। अतः तत्संबंध में स्थापना कक्ष के अधीक्षक श्री अशोक कुमार खत्री से वांछित जानकारी के संबंध में उनके तर्क सुने गये। उन्होंने अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019 से विभाग के अधीनस्थ कार्यरत 5 मुख्य अभियंताओं यथा मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर, मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर, मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर, मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना बिलासपुर एवं मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर से प्राप्त इनकमजेन्सी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गयी थी। अर्थात् 6 वर्षों मे 5 कार्यालयों से प्राप्त इनकमजेन्सी की जानकारी संकलित कर दी जानी थी। वांछित जानकारी का निकटतम संबंध संबंधित मुख्य अभियंता से था, जिनके द्वारा जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाती थी। जानकारी 6 वर्षों मे 5 कार्यालयों से प्राप्त होने के कारण वृहद स्वरूप की होने के कारण प्रत्येक जानकारी खोजकर उनकी पृष्ठ संख्या की गणना कर सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को प्रेषित की गयी। पुनः आवेदक द्वारा दस्तावेज शुल्क जमा किये जाने के उपरांत संबंधित नस्तियों से जानकारी निकाल कर, उनकी छाया प्रतियां कराकर सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को प्रेषित की गयी। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया गया। जनसूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि स्थापना कक्ष से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् जानकारी के वृहद स्वरूप 4897 पृष्ठों में होने के कारण उन्हें सत्यापित किये जाने में भी समय लगा।

6. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गयी है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन में वांछित जानकारी **"वर्ष 2019 से आज दिनांक तक आपके कार्यालय को प्रदेश के मुख्य अभियंता कार्यालयों से प्राप्त इनकमजेन्सी की प्रमाणित प्रतिलिपि"** का परीक्षण किया गया। जनसूचना अधिकारी एवं स्थापना कक्ष प्रभारी के तर्क भी श्रवण किये गये। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019 से विभाग के अधीनस्थ कार्यरत 5 मुख्य अभियंताओं यथा मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर, मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर, मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर, मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना बिलासपुर एवं मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर से प्राप्त इनकमजेन्सी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गयी थी। अर्थात् 6 वर्षों मे 5 कार्यालयों से प्राप्त इनकमजेन्सी की जानकारी संकलित कर दी जानी थी। वांछित जानकारी का निकटतम संबंध संबंधित मुख्य अभियंता से था, जिनके द्वारा जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाती थी। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निकटतम संबंध विभाग के विभिन्न 5 मुख्य अभियंताओं से था, जो स्वयं में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कार्यालय हैं। परंतु जनसूचना अधिकारी के द्वारा फिर भी अधिनियम की मूल भावना के अनुसार अत्यंत विस्तृत तथा विभिन्न विषयवस्तु (6 वर्षों की) की जानकारी होने के बाद भी आवेदक/अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/129/छ.ग./2024/8147, दिनांक 20.09.2024 द्वारा वांछित 4897 पृष्ठों की वृहद जानकारी सत्यापित कर मंत्रालय पोस्ट ऑफिस नवा रायपुर से पंजीकृत डाक रसीद क्र. EC354624020IN IVR;6967354624020 दिनांक 25/09/2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है

.........3

7. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता हैः–

**उत्तरवादी पक्ष अर्थात जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित वृहद विस्तृत स्वरूप की सत्यापित जानकारी 4897 पृष्ठ में कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/129/छ.ग./2024/8147, दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से मंत्रालय पोस्ट ऑफिस नवा रायपुर से पंजीकृत डाक रसीद क्र EC354624020IN IVR;6967354624020 दिनांक 25/09/2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से, प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।**

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/–
**(आलोक कुमार अग्रवाल)**
**प्रथम अपीलीय अधिकारी,**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता,**
**जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ**
**नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)**

**पृ.क्रं./207/बो.प्र./नि.स./2024/ 9477** **नवा रायपुर, दिनांक 24/10/2024**

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री डी.के. सोनी (अधिवक्ता), एवं RTI एक्टिविस्ट Ph.d, नावापारा अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) मो.नं. 9826152904 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

24/10/24
**प्रथम अपीलीय अधिकारी,**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता,**
**जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ**
**नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)**